उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-119/2015/4320/92-1-2015-51(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के अनुक्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सहायक/अधिशासी अभियंताओं को शासनादेश सं0-71/77/38-9-92-93एम/89, दिनांक 29-12-92 की व्यवस्था के अन्तर्गत सहायक अभियंता के पद पर 05 वर्ष की सेवा के उपरान्त अनुमन्य कराये गये प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अधोतालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि के स्थान पर, उनके विनियमितीकरण की तिथि के अनुसार स्तम्भ-6 में उल्लिखित संशोधित तिथि से उक्त प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराये जाने तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01-12-2008 को धारित पद पर 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अधोतालिका के स्तम्भ-8 में उल्लिखित तिथि से स्तम्भ-9 में उल्लिखित ग्रेड वेतन द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में अनुमन्य कराये जाने/न कराये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	नाम/पद नाम	विनियमिती - करण की तिथि	समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम चिन्हित वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि /वेतनमान		विनियमिती-करण की तिथि के अनुसार प्रथम चिन्हित वेतनमान की संशोधित तिथि	दिनांक 01-12-08 को धारित पद/ग्रेड वेतन	ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत तृतीय ए0सी0पी0 की अनुमन्य की तिथि/ग्रेड वेतन	
			तिथि	अनुमन्य वेतनमान	संशोधित तिथि		तिथि	अनुमन्य ग्रेड वेतन/ अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	श्री मंजूर अहमद, सहा0अभि0 (से0नि0 दि0 31-7-14)	13-6-84	01-01-86 20-9-97	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 7600/-	01-12-08	निर्देश याचिका सं0-530/2013 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-7-14 के अनुपालन में श्री मंजूर अहमद के विरूद्ध प्रदान की गयी अभियोजन की स्वीकृतियों को संज्ञान में न लेते हुये दिनांक 01-12-08 से तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700/- इस शर्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

								के अधीन अनुमन्य कराया जाय कि अभियोजन में यदि इनके विरूद्ध दण्ड पारित होता है, तो उक्त तृतीय ए0सी0पी0 की स्वीकृति स्वत: निरस्त हो जायेगी और तदनुसार श्री अहमद को भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली की जायेगी।
2	श्री बी0आर0 सिंह, सहा0 अभि0 (से0नि0 दि0 30-4-11)	23-8-86	29-01-86 29-01-99	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	01-12-08	8700/-
3	श्री सै0मो0 हुमायूँ जांह, अधि0अभि0	23-8-86	14-8-86 14-08-99	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	01-12-08	8700/-
4	श्री अमरपाल राय, सहा0अभि0 (से0नि0 दि0 31-7-12)	25-11-88	26-10-86 26-10-99	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	01-12-08	8700/-
5	श्री बृजेश कुमार दूबे, अधि0अभि0	23-02-89	17-4-94 17-4-07	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	17-4-15	8700/-
6	श्री बिजेन्द्र कुमार, अधि0अभि0	23-02-89	15-3-94 15-3-07	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	15-3-15	8700/-
7	श्री राशि मणि मिश्रा, अधि0अभि0	23-02-89	14-3-89 14-3-07	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	14-3-15	8700/-
8	श्री वीरपाल राजपूत, अधि0अभि0	23-2-89	13-3-89 13-3-07	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	13-3-15	8700/-
9	श्री अनिल कुमार शर्मा, अधि0अभि0	23-2-89	14-3-94 14-3-07	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	14-3-15	8700/-
10	श्री राम प्रसाद राम, अधि0अभि0	23-2-89	15-3-94 15-3-07	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	15-3-15	8700/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	श्री मो0 कुद्दूस अंसारी, अधि0अभि0	23-2-89	14-3-94 14-3-07	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	14-3-15	8700/-
12	श्री देवेन्द्र बाल्यान, अधि0अभि0	23-2-89	08-3-94 08-3-07	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	08-3-15	8700/-
13	श्री मो0 मुअज्जम बेग, अधि0अभि0	14-12-89	28-6-90 28-6-03	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	28-6-11	8700/-
14	श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, अधि0अभि0	14-12-89	15-7-90 15-7-03	3000-4500 12000-16500	---	सहा0अभि0 /7600/-	15-7-11	8700/-
15	श्री अली रहमान खॉ, (स्वै0से0नि0 दि0 30-4-11) अवर अभियंता से सहा0अभि0 के पद पर पदोन्नत	29-01-93	01-12-89 01-2-02	3000-4500 12000-16500	29-01-93	सहा0अभि0 /7600/-	01-2-10	श्री खॉ की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर उनकी सेवायें संतोषजनक न होने के आधार पर उन्हें तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
16	श्री एस0के0 सिंह यादव, (से0नि0 दि0 31-12-09) अवर अभियंता से सहा0अभि0 के पद पर पदोन्नत।	17-6-92	23-6-86 23-6-99	3000-4500 12000-16500	17-6-92	सहा0अभि0 /7600/-	01-12-08	8700/-
17	श्री सीताराम कापरी, (से0नि0 दि0 28-2-11) अवर अभियंता से सहा0अभि0 के पद पर पदोन्नत।	17-6-92	06-2-89 06-2-02	3000-4500 12000-16500	17-6-92	सहा0अभि0 /7600/-	06-2-10	8700/-
18	श्री सोम प्रकाश गुप्ता, अवर अभियंता से सहा0अभि0 के पद पर पदोन्नत।	29-01-93	24-5-89 24-5-02	3000-4500 12000-16500	29-01-93	सहा0अभि0 /7600/-	24-5-10	8700/-
19	श्री श्याम	17-6-92	19-5-89	3000-4500	17-6-92	सहा0अभि0	19-5-10	श्री पाण्डेय को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	नारायण पाण्डेय (से0नि0 दि0 30-06-11) अवर अभियंता से सहा0अभि0 के पद पर पदोन्नत।		19-5-02	12000-16500		/7600/-		तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 19-5-10 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- की अनुमन्यता, शासनादेश दि0 05-11-14 के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-14 के प्राविधानों के अनुसार उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रहेगी।
20	श्री राधे श्याम सिंह, (से0नि0 दि0 30-11-14) अवर अभियंता से सहा0अभि0 के पद पर पदोन्नत।	22-5-03	24-8-92 24-8-05	3000-4500 12000-16500	22-5-03	सहा0अभि0 /7600/-	24-8-13	श्री सिंह को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 24-8-13 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- की अनुमन्यता, शासनादेश दि0 05-11-14 के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-14 के प्राविधानों के अनुसार उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रहेगी।
21	श्री अभय शंकर सिंह, अधि0अभियंता	17-6-92	21-12-89 21-12-02	3000-4500 12000-16500	17-6-92	---	---	श्री अभय शंकर सिंह के पूर्ण सेवा विवरण सहित उनकी तृतीय ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के सम्बन्ध स्क्रीनिंग कमेटी की अगली बैठक में विचार किया जायेगा।

2- उपरोक्त सहायक/अधिशासी अभियंताओं को पूर्व में अनुमन्य कराये गये प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की तिथि में संशोधन/तृतीय ए0सी0पी0 की उपरोक्त स्वीकृति के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुक्रम में उन्हें अनुमन्य धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही भी अवश्य सुनिश्चित की जाय :-

(क) ऐसे सहायक/अधिशासी अभियंता, जो सम्प्रति सेवारत हैं, उनके प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली उनके वेतन/देयकों से की जाय।

(ख) ऐसे सहायक/अधिशासी अभियंता, जिन्हें सेवानिवृत्त हुये 03 वर्ष से कम अवधि व्यतीत हुई है, उनके प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली उनके देयकों से की जाय एवं तद्नुसार उनकी पेंशन भी संशोधित करायी जाय।

(ग) ऐसे सहायक/अधिशासी अभियंता, जिन्हें सेवानिवृत्त हुये 03 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो गयी है, उनके प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली विधिक रूप से उचित न होने के दृष्टिगत उनसे वसूली की कार्यवाही न की जाय, किन्तु यदि इन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य होता है, तो तद्नुसार इनसे वसूली हेतु निर्धारित धनराशि का समायोजन इन्हें देय धनराशि की सीमा तक किया जाय तथा इनकी पेंशन भी तद्नुसार संशोधित करायी जाय।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-119 /2015/4320(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित सहायक/अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in